

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I-खण्ड 1में प्रकाशनार्थ)

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर, 2005

सं. IV/12013/9/2004-सीएसआर.- यतः भारत सरकार के न्यूनतम साक्षा कार्यक्रम में भारत की जनता को हर समय भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी एवं उत्तरदायी सरकार देने और हर समय जिम्मेदार एवं क्रियाशील प्रशासन देने की दृढ़ वचनबद्धता की गई है;

2. और यतः न्यूनतम साक्षा कार्यक्रम में 'क्षेत्रीय विकास, केन्द्र-राज्य संबंध' शीर्ष के अंतर्गत सरकार की एक प्रतिबद्धता यह है कि दो दशक पहले सरकारिया आयोग द्वारा केन्द्र-राज्य संबंधों के मुद्दे की पिछली बार जांच किए जाने से अब तक भारत की राज्य व्यवस्था और अर्थ व्यवस्था में हुए भारी परिवर्तनों के मद्देनजर केन्द्र-राज्य संबंधों के मुद्दों की जांच के लिए एक नया आयोग गठित किया जाएगा;

3. अतः, अब, इस वचनबद्धता को पूरा करने के लिए, संघ सरकार, एतद्द्वारा, एक आयोग गठित करने का संकल्प करती है जिसे केन्द्र-राज्य संबंध आयोग कहा जाएगा।

4. इस आयोग के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे:

(i) आयोग भारत के संविधान के अनुसार संघ और राज्यों के बीच विद्यमान व्यवस्थाओं के कार्य संचालन, अपनाए जा रहे स्वस्थ दृष्टांतों, विधायी संबंधों, प्रशासनिक संबंधों सहित सभी क्षेत्रों में शक्तियों, कार्यों एवं दायित्वों के संबंध में न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों, राज्यपालों की भूमिका, आपातकालीन उपबंधों, वित्तीय संबंधों, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, पंचायती राज संस्थाओं, अंतर्राज्य नदी जल सहित संसाधनों के बंटवारे की जांच और समीक्षा करेगा और व्यवहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए ऐसे परिवर्तनों अथवा उपायों की सिफारिश करेगा जो उपयुक्त हों।

(ii) केन्द्र और राज्यों के बीच मौजूदा व्यवस्थाओं के कार्य संचालन की जांच और समीक्षा करते समय और अपेक्षित परिवर्तनों और उपायों की सिफारिशें करते समय आयोग उन सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों को ध्यान में रखेगा जो पिछले वर्षों, खासतौर पर पिछले दो दशकों में हुए हैं और योजना तथा संविधान के ढांचे का पूरा सम्मान करेगा। ऐसी सिफारिशें आवश्यक होंगी जिनसे देश की एकता और अखण्डता को सुदृढ़ करते हुए लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सुशासन सुनिश्चित करने की नई चुनौतियों से निपटा जा सके और नई सहस्राब्दि के प्रारंभिक दशकों में गरीबी और अशिक्षा के उन्मूलन के लिए सतत तथा तीव्र आर्थिक विकास के नए अवसर प्राप्त किए जा सकें।

(iii) उपरोक्त के संबंध में जांच और सिफारिशें करते समय आयोग द्वारा निम्नलिखित का विशेष ध्यान रखा जाएगा किंतु वह अपने अधिदेश को इन तक ही सीमित नहीं रखेगा:-

- (क) साम्प्रदायिक हिंसा, जातीय हिंसा के बड़े पैमाने पर एवं दीर्घकाल तक जारी रहने के दौरान अथवा अन्य किसी ऐसे सामाजिक संघर्ष, जिसके फलस्वरूप दीर्घकालिक व तीव्र हिंसा हुई हो, के दौरान राज्यों की तुलना में केन्द्र की भूमिका उत्तरदायित्व और क्षेत्राधिकार।
- (ख) बड़ी परियोजनाओं की योजना तथा कार्यान्वयन में राज्यों की तुलना में केन्द्र की भूमिका, उत्तरदायित्व और क्षेत्राधिकार जैसे कि नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना जिन्हें पूरा होने में आमतौर पर 15-20 वर्ष लगेंगे और ये पूरी तरह राज्यों के समर्थन पर निर्भर हैं।
- (ग) संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत स्वायत्त निकायों सहित पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों को निर्धारित अवधि के भीतर शक्तियों एवं स्वायत्तता के प्रभावी प्रत्यायोजन को बढ़ावा देने में राज्यों की तुलना में केन्द्र की भूमिका, उत्तरदायित्व और क्षेत्राधिकार।

- (घ) जिला स्तर पर स्वतंत्र नियोजन एवं बजट बनाए जाने की अवधारणा और प्रथा को बढ़ावा देने में राज्यों की तुलना में केन्द्र की भूमिका, उत्तरदायित्व और क्षेत्राधिकार।
- (ङ) विभिन्न प्रकार की केन्द्रीय सहायता को राज्यों की भूमिका के साथ सम्बद्ध करने में राज्यों की तुलना में केन्द्र की भूमिका, उत्तरदायित्व और क्षेत्राधिकार।
- (च) पिछड़े राज्यों के पक्ष में सकारात्मक विभेद के आधार पर दृष्टिकोण तथा नीतियों को अंगीकार करने में केन्द्र की भूमिका, उत्तरदायित्व और क्षेत्राधिकार।
- (छ) विशेष रूप से केन्द्र से निधियों के अंतरण पर राज्यों की अधिक निर्भरता को देखते हुए केन्द्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के बारे में 8वें से 12वें वित्त आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों का प्रभाव।
- (ज) मूल्य संवर्धित कर प्रणाली की शुरुआत होने के पश्चात माल के उत्पादन तथा बिक्री पर अलग-अलग कर लगाए जाने की आवश्यकता तथा प्रासंगिकता।
- (झ) एक एकीकृत एवं अखण्डित घरेलू बाजार स्थापित करने के उद्देश्य से तथा सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के अध्याय XVIII में दी गई इसकी सिफारिशों को स्वीकार करने में राज्य सरकारों की अनिच्छा के संदर्भ में भी अन्तर-राज्य व्यापार को मुक्त करने की आवश्यकता।
- (ञ) एक ऐसी केन्द्रीय विधि प्रवर्तन एजेंसी स्थापित किए जाने की आवश्यकता जो उन अपराधों की जांच करने के लिए अधिकृत हो जिनकी अन्तर-राज्य तथा/अथवा अंतर्राष्ट्रीय व्याप्ति हो एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ते हों।
- (ट) राज्यों में केन्द्रीय बलों की, जब और जहां परिस्थितियों की ऐसी मांग हो, स्वतः तैनाती के उद्देश्य से अनुच्छेद 355 के अंतर्गत एक समर्थक विधायन की व्यवहार्यता।

5. इस आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष तथा चार पूर्णकालिक सदस्य होंगे। अध्यक्ष और सदस्यों के नाम अलग से अधिसूचित किए जाएंगे।
6. श्री धीरेन्द्र सिंह, आई.ए.एस. (कर्नाटक:68) (सेवानिवृत्त) को दो (2) वर्षों की अवधि के लिए अथवा आयोग के कार्यकाल तक, एतद्द्वारा केन्द्र-राज्य संबंध आयोग के सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।
7. आयोग अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए अपनी प्रक्रियाओं का स्वयं निर्धारण करेगा और आयोग, यदि ऐसा करना आवश्यक समझता है तो उन मामलों की जांच अथवा छानबीन ऐसे तरीकों तथा व्यक्तियों द्वारा करा सकता है जिसे वह उपयुक्त समझे। भारत सरकार के मंत्रालय तथा विभाग समय-समय पर आयोग द्वारा यथावांछित सूचना और दस्तावेज आयोग को उपलब्ध कराएंगे तथा सहायता प्रदान करेंगे। भारत सरकार को विश्वास है कि राज्य सरकारें तथा संघ क्षेत्र प्रशासन और अन्य संबंधित आयोग को अपना पूर्ण सहयोग और सहायता देंगे।
8. आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।
9. आयोग दो वर्षों के अन्दर अपना कार्य पूरा करेगा और सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

ह/-

ए. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव